अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धरमपुरी जिला धार म.प्र.

(समक्षः—अनिल चौहान)

Registration No.MACC 147/2022
Filing No.313/2022
CNR.No.MP-11080019692022
Filing Date-12-10-2022

1— श्रीमती लीलाबाई मुवेल पति स्व0 गलसिंह भीलाला
आयु 35 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य.............पत्नी

2— पवन पिता स्व0 गलसिंह भीलाला
आयु 20 वर्ष, व्यवसाय पढ़ाई...................पुत्र

3— प्रिया पिता स्व0 गलसिंह भीलाला
आयु 18 वर्ष, व्यवसाय पढ़ाई.....................पुत्री

4— उमराव पिता मड़िया भीलाला
आयु 70 वर्ष, व्यवसाय कुछ नहीं............पिता**.....मृत**

5— गजरीबाई मुवेल पति उमराव भीलाला
आयु 64 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य................माता**.....मृत**

सभी निवासी ग्राम डेहरिया, गुजरी, तहसील धरमपुरी
जिला धार, म0प्र0 **........आवेदकगण**

—::। विरूद्ध। ::—

1— भारत पिता रामू कावड़िया
उम्र 40 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
निवासी शास्त्री कॉलोनी, धार, जिला धार,
म0प्र0..........वाहन स्वामी/चालक

2— डिव्हीजन मैंनेजर
द न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
मंगल नगर, धामनोद, जिला धार,
म.प्र...........बीमा कम्पनी **........अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से	:—	श्री एल0एम0 शेख अधि0।
अनावेदक क्रमांक 1	:—	पूर्व से एकपक्षीय।
अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से	:—	श्री कार्तिक जोशी अधि0।

:: अधि—निर्णय ::

(आज दिनांक 11.10.2023 को पारित किया गया)

1— आवेदकगण ने अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 166, 140 मोटरयान अधिनियम 1988, के तहत वाहन दुर्घटना में मृतक गलसिंह की मृत्यु हो जाने के आधार पर विभिन्न मदों में कुल 50,10,000/— रूपये अंकन (पचास लाख दस हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति धन राशि दिलाये जाने हेतु, यह क्लेम याचिका प्रस्तुत की है।

2— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आवेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध दिनांक 15.12.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

3— याचिका/आवेदन के तथ्य संक्षेप में यह है कि घटना दिनांक 01.01.2022 को रात्रि 9:30 बजे मृतक गलसिंह पैदल गुजरी बायपास रोड़ क्रास कर रहा था, तभी इंदौर तरफ से एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी .11 एम.एन. 3025 का चालक उसकी मोटर साईकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और गलसिंह को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गलसिंह रोड़ पर ही

गिर गया, जिससे उसके सिर व शरीर के अन्य भागों में गम्भीर चोंट आने के कारण व अधिक रक्त बह रहा था तथा घटना के समय हीरालला पिता गुलाब व उसका भतीजा रामलाल पिता पप्पू उसकी मोटर साईकिल से सुराणी से इमलीपुरा जा रहे थे, जिन्होंने उक्त घटना देखी थी तथा मोटर साईकिल छोड़ कर भाग गया था। उसके पश्चात् 108 एम्बूलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल धामनोद ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने गलसिंह को मृत घोषित किया गया। घटना से पहले मृतक गलसिंह मजदूरी करता था, जिससे उसे 15,000/– रूपये प्रतिमाह आय प्राप्त होती थी। मृत्यु होने के कारण उक्त आय अब प्राप्त नहीं हो सकती। उक्त दुर्घटना में मृतक गलसिंह की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण को मृतक से लगभग भविष्य में 30 वर्षों से प्राप्त होने वाली आय व लाड़ प्यार व दुलार व पति सुख से वंचित होना पड़ा और मृतक का शव लाने व ले जाने में राशि खर्च करना पड़ी एवं शारीरिक व मानसिक पीड़ायें भोगनी पड़ी एवं मृतक का कियाकम एवं जाति समाज के समस्त अंतिम कार्यक्रम पूर्ण करने में राशि खर्च करना पड़ी, इस प्रकार आवेदकगण को प्रतिकर आवेदन–पत्र में दर्शाये अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाये। मृतक की मृत्यु 40 वर्ष की उम्र में हो जाने के कारण भविष्य में उसकी पत्नी, बच्चों एवं बुढ़े माता–पिता की सेवा करता तथा उसके बच्चों को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाता, किन्तु उक्त दुर्घटना हो जाने के कारण अब नहीं कर सकता। उक्त दुर्घटना हो जाने के कारण आवेदकगण का जीवन अंधकारमय हो गया है, जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं की जा सकती है। उक्त घटना दिनांक को अनावेदक कमांक 1, 2, 3 के यहां बीमितसुदा उक्त वाहन मोटर साईकिल कमांम एम.पी. 11 एम.एन. 3025 का वैध एवं प्रभावशील चालक अनुज्ञप्तिधारी चालक की हैसियत से चला रहा था। अनावेदक कमांक 1 उक्त वाहन मोटर साईकिल का चालक है, अनावेदक कमांक 2 उक्त वाहन मोटर साईकिल का स्वामी है। अनावेदक कमांक 3 उक्त वाहन

मोटर साईकिल की बीमा कम्पनी है, इसलिये आवेदकगण को क्षतिपूर्ति के लिये अनावेदकगण संयुक्त या पृथक–पृथक उसके उत्तरदायित्व अनुसार उत्तरदायित्व का दायित्वमान है। दुर्घटना से पहले गलसिंह मजदूरी करता था, जिससे वह 12,000/– रूपये प्रतिमाह कमाता था। मृतक हष्टपुष्ठ व शारीरिक रूप से सक्षम था। उसकी पत्नी, बच्चे एवं माता–पिता व परिवार वालों की सेवा करता, किन्तु उक्त दुर्घटना हो जाने के कारण उसकी पत्नी व बच्चे, को लाड़ प्यार नहीं दे सकता। उसके परिवार का लालन–पालन पोषण भी नहीं कर सकता। उक्त दुर्घटना हो जाने के कारण मृतक की मृत्यु होने के कारण उसकी पत्नी एवं उसके बच्चे व उसके माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों का जीवन संकटमय हो गया है। उस हेतु विभिन्न मदों से कुल 50,10,000/– रूपये आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण से संयुक्तः या पृथक–पृथक मय ब्याज व वाद व्यय सहित दिलाए जाने का निवेदन किया है।

4– अनावेदक क्रमांक 2 ने याचिका/आवेदन के उपरोक्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया है, जिसका सार संक्षेप में यह है कि पुलिस से एफ.आई.आर. के जप्ती पत्रक में वादग्रस्त वाहन मोटर साईकिल की पॉलिसी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की जप्त होना बताया, जबकि आवेदकगणों द्वारा प्रकरण में न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी की संलग्न की गई है। इससे साफ–साफ स्पष्ट है कि आवेदकगणों द्वारा झूठे आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत करके दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से झूठ प्रकार में आवेदकगण क्षतिधन प्राप्त करना चाहते हैं। आवेदकगणों द्वारा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिये आवेदकगणों का वाद सव्वय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। घटना दिनांक 01.01.2022 को मृतक गलसिंह पैदल गुजरी बायपास रोड़ क्रास कर रहा था कि इंदौर तरफ से एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम.एन. 3025 का चालक द्वारा मृतक गलसिंह

को टक्कर मार दी, सम्पूर्ण कहानी मनगढ़ंत एवं झूठ है। वास्तव मं मृतक गलसिंह स्वयं कहीं ओर गिरने पड़ने से स्वतः अनबेलेंस होकर किसी अज्ञात वाहन से टकरा जाने से स्वतः दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वादग्रस्त मोटर साईकिल वाहन से नहीं। दुर्घटना के समय अज्ञात वाहन के चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस नहीं होने से इंश्योरेंस आदि कागजातों के अभाव होने से प्रकरण में आवेदकगण द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 व 3 वाहन चालक एवं वाहन स्वामी को तथा पुलिस से मिलीभगत करके प्रकरण में आलिप्त किया गया है, इसलिये उक्त वाद सव्यय निरस्त किया जाने का निवेदन किया है। मात्र बीमा कम्पनी से झूठे आधारों पर क्षतिधन प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है, इसलिये सम्पूर्ण वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। वाहन चालक द्वारा वादग्रस्त वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम.एम. 3025 को न ही तेज गति से ओर न ही लापरवाही से चलाया गया है ओर न ही मृतक गलसिंह को वादग्रस्त वाहन ने टक्कर मारी है ,केवल मनगढ़ंत कहानी गढ़ंकर झूठे आधार बनाकर बीमा कम्पनी को असत्य आधारों पर क्षतिधन राशि प्राप्त करने के लिये झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है, इसलिये आवेदकगणों का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदक स्वयं बनबेलेंस होकर किसी अज्ञात वाहन या स्वतः गिरने–पड़ने से क्षतिग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वादग्रस्त वाहन से नहीं, इसलिये आवेदकगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। वादग्रस्त वाहन का दुर्घटना के समय उसके रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा पॉलिस, लायसेंस एवं यातायात के नियमों का उल्लंघन कर चलाय ाजा रहा था, इसलिये बीमा कम्पनी की कोई जवाबदारी नहीं है। अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी द्वारा वादग्रस्त वाहन का बीमा नहीं किया गया था, किन्तु विकल्प में अनुरोध है कि बीमा पॉलिसी प्राप्त होने पर एवं बीमा सत्यापन धारा 64 व्ही.बी. के अन्तर्गत कन्फर्म होने पर संशोधन का अधिकार अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी का

सुरक्षित है। दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध व प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस का अभाव रहा होकर धारा 3 से लगायत 31ए एवं धारा लगायत 31ए एवं धारा 149–2 मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर वाहन चालाया जा रहा होने से इस बीमा कम्पनी की कोई जवाबदारी आवेदक के प्रति उत्पन्न नहीं होती है। मृतक/आवेदक दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहना हुआ है एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक को एवं पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है, इस प्रकार मृतक/आवेदक के द्वारा बगैर हेलमेट पहनकर वाहन चलाकर मोटरयान अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश की अवहेलना की होने से मृतक/आवेदक की भी इस दुर्घटना के लिये 50–50 प्रतिशत कान्ट्रीब्यट्री निगलीजेंसी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रतिकर याचिका सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 एकपक्षीय है।

6– उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर याचिका में निम्नानुसार वाद प्रश्न बनाये गये हैं जिन पर पारित निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित करते हुये निष्कर्ष के आधार आगे क्रमानुसार वर्णित हैं :–

क्रं.	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या दिनांक 01.01.2022 रात्रि 9:30 बजे स्थान महांकाल ढाबे के सामने गुजरी बायपास ए.बी. रोड़ के पास अनावेदक क्रमांक 1 अपने स्वामित्व का वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम.एम. 3025 को उपेक्षा या उतावलेपन से रोड़ क्रास कर	अधिनिर्णय के चरण क्रं. 7 से 16 तक के अनुसार ''प्रमाणित''

	रहे मृतक गलसिंह को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की?	
2.	क्या अनावेदक कमांक 1 द्वारा कारित उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक गलसिंह की मृत्यु कारित की?	अधिनिर्णय के चरण कं. 7 से 16 तक के अनुसार ''प्रमाणित''
3.	क्या अनावेदक कमांक 1 द्वारा वाहन मोटर साईकिल कमांक एम.पी. 11 एम.एन. 3025 को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया?	'''अधिनिर्णय के चरण कमांक–17 से 20 तक के अनुसार प्रमाणित नहीं''
4.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है, यदि हां तो कितनी और किससे?	'''अधिनिर्णय के चरण कमांक–21 से 42 तक के अनुसार प्रमाणित''
5.	सहायता एवं व्यय?	''अधिनिर्णय के चरण कमांक–43 अनुसार आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।''

–:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार ::–

–: वाद प्रश्न कमांक 1 एवं 2 का निराकरण :–

टीपः– क्लेम प्रकरण में उपरोक्त वाद प्रश्न एक ही घटना से सम्बन्धित है। अतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7– उक्त संदर्भ में आवेदक लीलाबाई (आ.सा.–1) ने अपने कथनों में बताया है कि आवेदक कमांक 2 व 3 उसका लड़का एवं उसकी पुत्री है तथा आवेदककमांक 4 व 5 उसके सास–ससुर है। मृतक गलसिंह उसके पति थे। घ टना दिनांक 01.01.2022 को समय रात्रि 9:30 बजे की है। उसके पति

पैदल–पैदल काम से आ रहे थे। तभी इंदौर तरफ से एक मोटर साईकिल वाले ने उनको टक्कर मार दी थी। मोटर साईकिल वाला तेज गति से उसके वाहन को चलाकर ला रहा था। घटना के समय वह उसके घर पर थी, उसे गांव के हीरालाल के फोन आया था और उन्होंने बताया कि गलसिंह को मोटर साईकिल वाले ने टक्कर मार दी, उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अस्पताल लेकर गये, इतने में वे भी अस्पताल चे गये थे, जहां पर डॉक्टर ने उसके पति को मृत घोषित किया।

8— स्वतंत्र साक्षी हीरालाल (आ.सा.–2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन दिये हैं कि घटना दिनांक 01.01.2022 को समय रात्रि 9:30 बजे की है। वह मृतक गलसिंह को पहचानता है, गांव वाले जीजा लगते हैं। वह घटना दिनांक को उसके साथ भतीजा रामलाल सुराड़ी से उसके रिश्तेदार वहां इमलीपुरा जा रहा था, तभी देखा कि जीजा गलसिंह को एक मोटर साईकिल वाले ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उन्हें टक्कर मार दी, गलसिंह पैदल–पैदल जा रहे थे। उसने उक्त मोटर साईकिल के नम्बर नोट कर लिये थे, जिसके नम्बरि एम.पी. 11 एम.एन. 3025 है। कुछ देर मोटर साईकिल वाला रूका और उसके बाद वह वहां से भाग गया था। फिर उसने 108 एम्बूलेंस को फोन किया और वे जीजा को अस्पताल लेकर गये, जहां डॉक्टर द्वारा गलसिंह को मृत घोषित कर दिया। रात्रि हो जाने से दूसरे दिन सुबह पोस्टमार्टम किया, उसके बाद उन्हें शव सुपुर्द कर उन्हें प्रायवेट वाहन से मृतक को उनके गांव लेकर आये। उसने घटना की सूचना गलसिंह के परिवार वालों को फोन करके दी थी। दिनांक 03.01.2022 को गलसिंह के परिवार वाले एवं वह थाना धामनोद पर गये थे।

9— इस प्रकार आवेदक लीलाबाई (आ.सा.–1) एवं स्वतंत्र साक्षी हीरालाल (आ.सा.–2) की साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने

दिनांक 01.01.2022 की रात्रि 9:30 बजे महांकाल ढाबे के सामने गुजरी बायपास ए.बी. रोड़ पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम. 3025 को उपेक्षा और लापरवाही से चलाकर गलसिंह को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप गलसिंह को आयी चोंट से मृत्यु कारित हुई।

10— आवेदकगण ने अपने कथन के समर्थन में प्रदर्श पी—1 लगायत 16 के दस्तावेज पेश किये हैं, उक्त दस्तावेज के परिशीलन से यह दर्शित है कि सूचनाकर्ता/स्वतंत्र साक्षी हीरालाल ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 01.01.2022 को रात के 9:30 बजे वह उसका, भतीजा रामलाल अपने रिश्तेदार के यहां से इमलीपुरा जा रहे थे, तभी उसका जीजा गलसिंह डेयरी गुजरी के पास महांकाल ढाबे के सामने गुजरी बायपास ए.बी. रोड़ पर रोड़ क्रास कर रहा था, तभी इंदौर से एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम.एन. 3025 का चालक मोटर साईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और रोड़ क्रास कर रहे जीजा गलसिंह को टक्कर मार दी, जिससे उसे सीने, दाहिने पैर में चोंट आयीं। एम्बूलेंस से सरकारी अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर ने गलसिंह की मृत्यु होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर से प्रश्नगत मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम.एन. 3025 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 10/2022 भा.द.वि. की धारा 304ए प्रदर्श पी—1 का कायम किया तथा उक्त वाहन के स्वामी अनावेदक कमांक 1 भारत को मोटरयान अधिनियम की धारा 133 का नोटिस दिया, जिसमें उसने बताया कि उसकी उक्त मोटर साईकिल घटना दिनांक को स्वयं चला रहा था। यह जानकारी प्रदर्श पी—15 है। पुलिस ने अनावेदक क्रमांक 1 से प्रदर्श पी—4 के जप्ती पत्रक अनुसार मोटर साईकिल, बीमा और लायसेंस जप्त किया। वाहन की मैकेनिकल जांच करायी, जो प्रदर्श पी—14 है, जिसमें दुर्घटना के चिह्न बताये गये हैं। मृतक गलसिंह का शव परीक्षण प्रदर्श पी—9 का तैयार किया, बाद अन्वेषण की तमाम औपचारिक कार्यवाही पूर्ण कर प्रदर्श पी—2 का अभियोग—पत्र

अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध भा0द0वि0 की धार I304ए में प्रस्तुत किया। उक्त दस्तावेज के विषय में हीरालाल (आ.सा.–2) और लीलाबाई (आ.सा.–1) के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है और न ही विपरीत तथ्य आये हैं, बीमा कम्पनी की ओर से दिये गये सुझावों को इंकार किया है। अभिलेख पर ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे कि प्रदर्श पी–1 लगायत 14 के दस्तावेज पर अविश्वास किया जायें। अतः उक्त दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज से हीरालाल (आ.सा.–2) और लीलाबाई (आ.सा.–1) के कथनों की पुष्टि होती है और यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने दिनांक 01.01.2022 की रात्रि 9:30 बजे महांकाल ढाबे के सामने गुजरी बायपास ए.बी. रोड़ पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम. 3025 को उपेक्षा और लापरवाही से चलाकर गलसिंह को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप गलसिंह को आयी चोंट से मृत्यु कारित हुई।

11– उपेक्षा, लापरवाही एवं दाण्डिक प्रकरण के विषय में **न्याय दृष्टांत मो. नासीर विरूद्ध अंगद प्रसाद 2003 (4) एम.पी.एल.जे. 95 (डी.बी.) एवं सुनीता विरूद्ध स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ए.आई.आर. 2019 एस.सी. 994** में भी यह प्रतिपादित किया है कि दुर्घटना दावा प्रकरण में प्रमाण भार अधिक संभावना के प्रबलता के स्तर का होना चाहिए। युक्तियुक्त संदेह से परे का स्तर इस पर लागू नहीं होता है। **न्याय दृष्टांत मंगला राम विरूद्ध ओरियेंन्टर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 1900** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में अभियोजन के कठोर नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिये साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक संभावना की कसौटी पर किया जाना चाहिए। **न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध पुष्पाराणा एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 287** में यह प्रतिपादित किया है कि आपराधिक प्रकरणों के दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं कि चालक द्व

ारा उपेक्षा बरती गई। **न्याय दृष्टांत भापू बाई एवं अन्य विरूद्ध अंतर सिंह एवं अन्य 2006 ए.सी.जे. 2556 एम.पी.** में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न हो, वहां घटना का तथ्य प्रमाणित माना जायेगा।

12– उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आधार पर याचिका में प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श पी–1 लगायत 14 पेश किये हैं। उक्त दस्तावेज में अनावेदक क्रमांक 1 ने दुर्घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रश्नगत मोटर साईकिल को उपेक्षा और लापरवाही से चलाना दर्शित है। इस कारण उक्त दस्तावेज से यह प्रमाणित मानना उचित है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने दिनांक 01.01.2022 की रात्रि 9:30 बजे महांकाल ढाबे के सामने गुजरी बायपास ए.बी. रोड़ पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम. 3025 को उपेक्षा और लापरवाही से चलाकर गलसिंह को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप गलसिंह को आयी चोंट से मृत्यु कारित हुई।

13– विलम्ब के लिये न्यायदृष्टांत टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध श्रीमति भंवरीबाई व अन्य 2018 (2) ए.सी.सी.डी. 1102 राजस्थान व न्यायदृष्टांत रवि बनाम बद्रीनारायण एवं अन्य 2011(1) ए.सी.सी.डी. 416, एसी.सी.सी. में यह अभिर्धारित किया गया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से किये जाने के आधार पर क्षतिपूर्ति याचिका निरस्त नहीं की जा सकती है, जबकि विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है। न्यायदृष्टांत आलोक शर्मा बनाम संतोष 2013(1) एम.पी.एच.टी. 92 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, तब भी क्षतिपूर्ति दावा याचिका निरस्त नहीं की जा सकती है। अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना आवश्यक नहीं है। तब उक्त विधि के आलोक में हस्तगत

मामले में घटना असत्य प्रकट नहीं है, बल्कि घटना साबित है। इस कारण विलम्ब के आधार पर याचिका निरस्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14— याचिका में अनावेदक क्रमांक 1 के चालक की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। दुर्घटना का सबसे निकटतम और सर्वश्रेष्ठ साक्षी चालक होता है, जो यह स्पष्ट कर सकता है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में और किसकी लापरवाही का परिणाम थी। यदि चालक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो यह उपधारित किया जा सकता है कि, दुर्घटना वाहन चालक की उपेक्षा का परिणाम थी। इस सम्बन्ध में न्यायदृष्टया **मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग विरूद्ध वैजयंती 1995 ए.सी.जे. 560 (एम.पी.) (डी.बी.), चंदा देवी विरूद्ध राजेन्द्रसिंह 2004 ए.सी.जे. 634 (एम.पी.) (डी.बी.), रानी हेमंत कुमारी विरूद्ध न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1974 ए.सी.जे. 284 (एम.पी.), के.के. जैन विरूद्ध मंसूर अनवर 1990 ए.सी.जे. 219 (एम.पी.), गायत्रीबाई विरूद्ध नरेन्द्र 1999 (2) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 141 (डी.बी.), राजेन्द्रसिंह विरूद्ध शीतल दास 1992 ए.सी.जे. 130 उम.पी. पुष्पाबाई विरूद्ध मेसर्स रंजीत जीनिंग एण्ड प्रेसिंग कंपनी प्रायवेट लिमिटेड (1977) (2) एस.सी.सी. 745** में दिए गए मार्गदर्शन अवलोकनीय है। तब उक्त विधि के आलोक में हस्तगत मामले में अनावेदक क्रमांक 1 चालक की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज भी कह रहे हैं कि, दुर्घटना में अनावेदक क्रमांक 1 की लापरवाही थी, तो ऐसी स्थिति में यह उपधारित करना उचित है कि, दुर्घटना वाहन चालक की उपेक्षा का परिणाम थी।

15— अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि मृतक गलसिंह अनबेलेंस होकर अज्ञात वाहन से स्वयं टकरा गया। मोटर साईकिल से दुर्घटना कारित नहीं हुई है, क्षतिपूर्ति पाने के लिये झूठे आधार पर

मनगढ़ंत कहानी बनाकर असत्य रिपोर्ट पेश की है। याचिका निरस्त की जायें, किन्तु अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी ने वादोत्तर में जो अभिवचन किये हैं, उसे सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और आवेदक साक्षी हीरालाल और लीलाबाई के प्रतिपरीक्षण में बीमा कम्पनी के बचाव अनुसार कोई स्वीकृति नहीं आयी है। यदि घटना में असत्यता होती तो बीमा कम्पनी घटना की जांच कराती, पुलिस की कार्यवाही पर आपत्ति करती और साक्ष्य प्रस्तुत करती, परन्तु ऐसा कुछ भी बीमा कम्पनी ने नहीं किया है और पुलिस स्वतंत्र एजेंसी ने अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध अभियोग–पत्र पेश किया है, इस कारण दाण्डिक प्रकरण और आवेदकगण की साक्ष्य पर अविश्वास करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः बीमा कम्पनी के अधिवक्ता का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

16– अन्त में उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के आधार पर यह दावा अधिकरण प्रस्तुत याचिका में आवेदक लीलाबाई (आ.सा.–1) एवं हीरालाल (आ.सा.–2) की साक्ष्य और दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श पी–1 लगायत 14 के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और ठहराता है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने दिनांक 01.01.2022 की रात्रि 9:30 बजे महांकाल ढाबे के सामने गुजरी बायपास ए.बी. रोड़ पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम. 3025 को उपेक्षा और लापरवाही से चलाकर गलसिंह को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप गलसिंह को आयी चोंट से मृत्यु कारित हुई।

अतः यह अधिकरण याचिका के वाद प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का उत्तर आवेदकगण के पक्ष में **''प्रमाणित''** है के रूप में देता है, तद्नुसार उक्त याचिका का वाद प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 निराकृत किया जाता है।

<u>–: वाद प्रश्न कमांक 3 का निराकरण :–</u>

17— उक्त वाद प्रश्न की रचना अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी द्वारा जो प्रतिरक्षा वादोत्तर में ली गई है, उसके आधार पर की गई है। दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, इसे प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी पर है, इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टांत कमला मांगीलाल विरूद्ध यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी (2010) 12 एस.सी.सी. 488 अवलोकनीय है।

18— वाहन चालक के पास दुर्घटना दिनांक को वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा पत्र नहीं होने के तथ्य को प्रमाणित करने का भार बीमा कम्पनी पर होता है तथा आवष्यक दस्तावेज के अभाव में चलाया जा रहा था। यह प्रमाणित करने का भार भी अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी पर है। इस सम्बन्ध में न्यायदृष्टांत लोकेन्द्र विरूद्ध आजाद खान 2011 (1) एम.पी.एल.जे. 679 अवलोकनीय है, इसी प्रकार बीमा कम्पनी जब प्रकरण में प्रतिरक्षा लेती है, तो उसे स्वीकार योग्य साक्ष्य से भी प्रमाणित करना चाहिये। मात्र अभिवचन को साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायदृष्टांत विसनदेवी विरूद्ध सिरबक्षसिंह 1979 ए.सी.जे. 446, 1990 टी.एस.सी. 43 एस.सी. अवलोकनीय है। इसी प्रकार यदि बीमा कम्पनी बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का बचाव लेती है, तो उसे उस अभिवचन को प्रमाणित करने का भार उसी का है, इस सम्बन्ध में न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी विरूद्ध जुगलकिशोर ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 789 एवं यूनाईटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध नटवरलाल 1988 जे.एल.जे. 639 अवलोकनीय है।

19— तब उक्त विधि के आलोक में याचिका में उपरोक्त वाद प्रश्न के विषय में अनावेदक क्रमांक 2 ने अपने प्रमाण भार अनुसार किसी की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक क्रमांक 1 से प्रदर्श पी—4 के जप्ती पत्रक अनुसार

बीमा पॉलिसी और ड्रायविंग लायसेंस जप्त हुआ है और पुलिस ने प्रदर्श पी–2 का अभियोग–पत्र मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना ड्रायविंग लायसेंस या अन्य दस्तावेज के अभाव में वाहन चालने का कोई अपराध दर्ज कर पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी को अपने प्रमाण भार अनुसार जप्त ड्रायविंग लायसेंस की जांच करानी थी और यह बताना था कि ड्रायविंग लायसेंस फर्जी है और वाहन स्वामी को जानकारी थी या बीमा पॉलिसी फैक फर्जी है, किन्तु ऐसा कुछ भी बीमा कम्पनी ने नहीं किया है। मात्र वादोत्तर के अभिवचन के आधार पर बीमा कम्पनी के बचाव को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। बीमा कम्पनी के अभिवचन से यह सिद्ध नहीं होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने प्रश्नगत मोटर साईकिल को बिना ड्रायविंग लायसेंस और अन्य दस्तावेज के अभाव में चलाया।

20– अंत में उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के आधार पर यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता और ठहराता है कि, अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी याचिका में यह प्रमाणित करने में असफल होती है कि अनावेदक क्रमांक 2 ने मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम.एम. 3025 को दुर्घटना दिनांक 01.01.2022 को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया।

अतः यह अधिकरण निर्मित वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण का उत्तर **''प्रमाणित नहीं''** के रूप में देता है, तद्नुसार निर्मित वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण किया जाता है।

– : वाद प्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण :–

21– उक्त संदर्भ में वाद प्रश्न क्रमांक 1 अनुसार यह प्रमाणित हुआ है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने दिनांक 01.01.2022 की रात्रि 9:30 बजे महांकाल ढाबे के सामने गुजरी बायपास ए.बी. रोड़ पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 11 एम.

3025 को उपेक्षा और लापरवाही से चलाकर गलसिंह को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप गलसिंह को आयी चोंट से मृत्यु कारित हुई। दुर्घटना के समय उक्त प्रश्नगत मोटर साईकिल अनावेदक क्रमांक 2 की बीमा कम्पनी में बीमित था और बीमा कम्पनी वाद प्रश्न क्रमांक 2 अनुसार यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने बीमा शर्तों के उल्लंघन में उक्त मोटर साईकिल को चलाया। आवेदकगण मृतक की पत्नी और बच्चे हैं, इस कारण आश्रित हैं, ऐसी स्थिति में आवेदकगण मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 से संयुक्तः या पृथक–पृथक निर्धारित प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी है।

22– अब प्रश्न है कि आवेदकगण कितनी राशि किन किन मदों में प्राप्त करने का अधिकारी है। **न्यायदृष्टांत सरला वर्मा विरूद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए.सी.जे. 1298 एस.सी. तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी ए.आई.आर. 2017 (4) एस.सी. 137 तथा रेशमा कुमारी विरूद्ध मदनगलसिंह 2013 ए.सी.जे. 1553 एस.सी.** में एवं अन्य विधि में प्रतिकर निर्धारण के लिये जो दिशा निर्देश दिये है, उसके अंतर्गत मृतक की उम्र, मृतक की आय, आश्रितों की संख्या आदि पर विचार करते, आवेदकगण कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी है यह तय करना है। तब उक्त विधि के तारतम्य में प्रतिकर निर्धारण हेतु सर्वप्रथम मृतक की आयु और उसकी आमदनी के बारे में विचार करना आवश्यक है।

मृतक गलसिंह की आयु के संबंध में

23– उक्त विषय में आवेदक लीलाबाई (आ.सा.–1) ने मृतक गलसिंह की आयु के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुये हैं। मात्र दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्शित हुये हैं और शव परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श पी–8, 9 में गलसिंह

की आयु 40 वर्ष लेख की है। इस कारण मृतक गलसिंह की आयु दुर्घटना दिनांक को 40 वर्ष प्रमाणित मानना उचित प्रतीत होता है।

24– अतः सर्वप्रथम यह ठहराया जाता है कि मृतक गलसिंह की आयु दिनांक 01.01.2022 को 40 वर्ष थी।

आमदनी / आय

25– अब यदि गलसिंह की आय घटना दिनांक 01.01.2022 को कितनी थी, पर विचार करें, तो आवेदक लीलाबाई (आ.सा.–1) ने मुख्य परीक्षण में बताया कि मृतक गलसिंह मजदूरी का काम करता था और 500/– रूपये प्रतिदिन आय अर्जित करता था, परन्तु उक्त विषय में आय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिये बगैर दस्तावेज के मृतक गलसिंह की आय 500/–रूपये आय प्रतिदिन प्रमाणित मानना उचित प्रतीत नहीं होता है।

26– **न्याय दृष्टांत गोविन्द यादव विरूद्ध न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एस.सी.सी. 683 में** यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मृतक की आमदनी के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर न हो या जो साक्ष्य दी है वह अतिरंजित होने से अधिकरण विश्वसनीय नहीं पाता है वहां दुर्घटना के समय जो न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर को दी जाती है उसे नोशनल इनकम मानकर प्रतिकर दिलाया जा सकता है। **न्यायदृष्टांत रामजी लाल विरूद्ध ओंकार लाल 2004 एस.सी.जे. 238 एम.पी. (डी.बी.)** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अर्जित करता है यह सुरक्षित रूप से उपधारित किया जा सकता है। यदि न्यूनतम मजदूरी है, तो एक माह में 25 दिन काम किया जाता है, यह मानकर मासिक आमदनी निर्धारित की जा सकती है। **न्यायदृष्टांत किरण देवी विरूद्ध सुरजित यादव 2 (2010) एस.सी.सी. 289 में** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यक्ति

की मृत्यु के मामले में जहां आमदनी का कोई प्रमाण नहीं है, वहां दुर्घटना के समय राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और उसमें ज्यूडीशियल नोटिस लेकर अवार्ड किया जा सकता है। उक्त विधि के आलोक में हस्तगत मामले में मृतक की नोशनल इन्कम निकालना उचित है। उक्त विधि के आलोक में हस्तगत मामले में मृतक गलसिंह की घटना दिनांक की स्थिति में नोशनल इन्कम निकालना उचित प्रतीत होता है।

27— मृतक गलसिंह कुशल श्रमिक था और प्रति 30 दिवस कार्य करता था, इसका प्रमाण नहीं है, इसलिए जब मृतक की आय का प्रमाण नहीं है, तब कलेक्टर/राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी इस क्षेत्र में निर्धारित की है उस अनुसार औसत अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से मृतक गलसिंह की मासिक आय की गणना करना उचित है। मृतक गलसिंह की मृत्यु दिनांक 01.01.2022 को हुई थी, उक्त वर्ष में धरमपुरी क्षेत्र में अकुशल श्रमिक की शासकीय मजदूरी मंहगाई भत्ता के बगैर प्रति दिवस 250/— रूपये थी जैसा कि मध्यप्रदेश औद्योगिक श्रमिक हेतु न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता की सूची से दर्शित है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग मनावर—धरमपुरी ने भी दिनांक 21.04.2023 के द्वारा जारी किया गया है, जिसका न्यायालय ज्युडिशियल नोटिस ले सकता है, मनरेगा के अंतर्गत शासन किसी व्यक्ति को साल भर न्यूनतम मजदूरी पर कार्य उपलब्ध कराती है, ऐसा नहीं है तथा यदि मजदूर पेशा व्यक्ति है तो नियोजक की आवश्यकता उसके पास कार्य की उपलब्धता और मौसम व्यवसाय और अन्य परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को महिने में 30 दिवस कार्य मिलता है या उससे कम। मृतक ग्राम ग्राम डेहरी गुजरी तहसील धरमपुरी, जिला धार क्षेत्र में निवास करता है, उस क्षेत्र में 30 दिवस या साल भर मजदूरी नहीं मिलती होगी, इस बात की प्रबल संभावना है तथा औद्योगिक क्षेत्र में अकुशल

श्रमिक के रूप में स्थाई रूप से कार्य करता था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लीलाबाई ने मजदूरी करना बताया है, ऐसी स्थिति में मृतक गलसिंह के वेतन में मंहगाई भत्ता जोड़कर प्रतिमाह की गणना करना उचित नहीं है, बल्कि श्रमिकों को शासन द्वारा जो न्यूनतम वेतनमान प्रति दिवस के मान से मिलता है, उसके अनुसार मृतक की आय की गणना प्रतिमाह करना उचित है, इसलिए उक्त समस्त परिस्थितियों को विचार में लेते हुये यह अधिकरण अनुमानित महिने में 25 दिन किसी व्यक्ति को कार्य मिलता होगा, यह मानकर शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिदिवस मजदूरी 250/— रूपये के हिसाब से मृतक गलसिंह की मासिक आय दिनांक 01.01.2022 को 6,250/— रूपये ठहराता है और इस आधार पर मृतक गलसिंह की वार्षिक आय 75,000/— रूपये ठहराता है।

गुणांक के बारे में

28— हस्तगत मामले में मृतक गलसिंह 40 वर्ष होकर विवाहित था और **न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी ए.आई. आर. 2017 एस.सी. 5157** पांच न्यायमूर्तिगण की पीठ ने यह निर्णय लिया कि विवाहित की मृत्यु पर भी गुणांक के चयन में मृतक की उम्र को आधार बनाया जायेगा और वर्तमान में उक्त विधि की स्थिति प्रभाव में है तब गुणांक के चयन में मृतक गलसिंह की उम्र के आधार पर गुणांक का चयन करना उचित प्रतीत होता है तथा **न्याय दृष्टांत सरला वर्मा वाले मामले में तैयार की गई तालिका या टेबिल अनुसार हस्तगत मामले में गुणांक का प्रयोग किया जाना उचित प्रतीत होता है।** हस्तगत मामले में मृतक गलसिंह की आयु दिनांक 01.01.2022 को 40 वर्ष थी और उसकी आयु 36 से 40 वर्ष के मध्य होने से 15 का गुणांक प्रयुक्त करना उचित है। अतः प्रस्तुत मामले में प्रतिकर निर्धारण के लिये 15 के गुणांक का प्रयोग किया जावेगा।

भविष्य की संभावनायें या फ्यूचर प्रसपेक्ट्स

29— **न्याय दृष्टांत नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157** में यह प्रतिपादित किया है कि चाहे मृतक स्वरोजगार वाला हो या एक नियत वेतन पर काम करने वाला हो, वहां भविष्य की संभावना को विचार में लेना चाहिए, उक्त न्याय दृष्टांत में मृतक की आयु 40 वर्ष से कम है, तो भविष्य की संभावना 40 प्रतिशत जोडी जायेगी यह बताया है तथा **न्याय दृष्टांत हेमराज विरूद्ध ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 ए.सी.जे. 5 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्य न्यायायल ने यह प्रतिपादित किया है कि न्यायालय गैस वर्क के आधार पर जो आमदनी निर्धारित करता है उसमें भी भविष्य की संभावना पर विचार लेना चाहिए, यह मत **न्यायदृष्टांत प्रणय सेठी** पर भरोसा करते हुये किया है। तब उक्त विधि के आलोक में हस्तगत मामले में मृतक गलसिंह की आयु 40 वर्ष निर्धारित की है अर्थात वह 40 से 50 वर्ष के भीतर है, इसलिये 25 प्रतिशत भविष्य की संभावना के रूप में आय जोड़ना उचित है। और अस्थाई नौकरी के तौर पर वह मजदूरी करता था, इसलिए उसके भविष्य की संभावनायें 25 प्रतिशत अर्थात वार्षिक आमदनी 75,000/— का 25 प्रतिशत 18,750/— रूपये भविष्य की संभावना के रूप में आय ठहराई जाती है।

<u>व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च</u>

30— उक्त संबंध में प्रस्तुत मामले में मृतक गलसिंह को 40 वर्ष से कम होकर विवाहित माना है और **न्याय दृष्टांत रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन गलसिंह 2013 ए.सी.जे. 1553** में व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्चे के बारे में न्याय दृष्टांत सरला वर्मा वाले मामले में जो परिस्थितियां बताई है उसको विचार में लेना बताया गया है और <u>सरला वर्मा</u> बारे में मामले मे यदि मृतक विवाहित है। यदि उसके परिवार में 2—3 आश्रित है, तब आय का 1/3 भाग परिवार के सदस्यों पर खर्च करता होगा, यह माना जा सकता है। अर्थात् 1/3 भाग व्यक्तिगत जीवन

निर्वाह काटने के बारे में बताया है। अतः सरला वर्मा वाले न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आधार पर हस्तगत मामले में मृतक गलसिंह विवाहित है और उसके परिवार में पत्नी और दो बच्चे सदस्य आश्रित हैं तथा माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण 3 सदस्यों के आधार पर व्यक्तिगत जीवन निर्वाह काटना उचित है। मृतक गलसिंह की वार्षिक आमदनी 75,000/– रूपये उसमें भविष्य की संभावना 18,750/– रूपये जोडते हुये कुल आमदनी 93,750/– रूपये का 1/3 भाग 31,250/– रूपये व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च ठहराया जाता है।

<u>साहचर्य की हानि या कन्सोर्शियम</u>

31– उक्त संदर्भ में **न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी (वही)** में यह प्रतिपादित किया है कि साहचर्य हानि 40,000 रूपये दिलाना चाहिये। **न्याय दृष्टांत मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध नानूराम उर्फ चुहरूराम 2018 एस.सी.जे. 1782 एस.सी.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित पुत्र के पिता को भी साहचर्य हानि दिलवाई है। **<u>न्यायदृष्टांत यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध सत्येन्द्र कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य सिविल अपील नम्बर 2705/2020 निर्णय दिनांक 30.06.2020</u>** में साहचर्य की हानि या कन्सोसियम के लिये मृतक के विधवा, बच्चे, माता–पिता भाई है, तो उन्हें भी 40,000/– –40,000/– रूपये साहचर्य हानि व कन्सोसियम की हानि के मद से प्रतिकर दिलाये जाने का प्रावधान है, हस्तगत मामले में मृतक गलसिंह 40 वर्ष का विवाहित था और आवेदकगण क्रमशः उसकी पत्नी, दो पुत्र–पुत्री जीवित हैं, इसलिए साहचर्य हानि और प्रेम स्नेह के मद से राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। पत्नी ने पति खोया जिसके प्रेम स्नेह के लिये कोई मूल्य आंका नहीं जा सकता है तथा पुत्र–पुत्री ने पिता का स्नेह खोया है, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को प्रेम, स्नेह की हानि के लिये उपरोक्त

मद से रूपये दिलाये जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि अनुसार पहले उक्त मद से प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि को 40,000/— 40,000/—रूपये दिलाने का प्रावधान था, किन्तु उक्त न्याय दृष्टांत में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि, अधिकरण प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् उक्त राशि में 10 प्रतिशत राशि की अभिवृद्धि करके राशि दिलायेगा। इस तारतम्य में वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उक्त मद में 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुये मृतक की पत्नी दो पुत्र—पुत्री आवेदकगण को स्नेह, प्रेम हानि में 44,000 X 3 रूपये कुल 1,32,000/— रूपये दिलाये जाना उचित है। आवेदकगण उक्त राशि भी पाने के अधिकारी है।

<u>दाह—संस्कार खर्च फ्यूनरल एक्सपेंस</u>

32— **न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध प्रणय सेठी (वही)** में यह प्रतिपादित किया है कि दाह—संस्कार खर्च 15,000/— रूपये दिलवाया जाये, किन्तु 3 वर्ष पश्चात् दाह—संस्कार, सम्पदा हानि 10 प्रतिशत की राशि की अभिवृद्धि करके दाह संस्कार का खर्चा दिलाया जायें। तब उक्त विधि के आलोक में 10 प्रतिशत राशि की अभिवृद्धि करके हस्तगत मामले में आवेदकगण को दाह—संस्कार खर्च के लिये 16,500/— रूपये की राशि दिलाई जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>सम्पदा हानि मद</u>

33— **न्याय दृष्टांत प्रणय सेठी** वाले मामला का ही मार्ग दर्शन लेते हुये आवेदकगण को सम्पदा हानि के मद से 16,500/— रूपये की राशि दिलाये जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>प्रतिकर की गणना</u>

34— मृतक गलसिंह की वार्षिक आमदनी 75,000/— रूपये में उक्त

अनुसार भविष्य की संभावना 25 प्रतिशत अर्थात 18,750/- रूपये जोडने पर कुल आमदनी 93,750/- रूपये आती है, जिसमें से व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च 1/2 भाग 31,250/- रूपये कम करने पर आश्रितता/Loss of Dependency की राशि 62,500/- रूपये आती है।

35- आश्रितता की राशि 62,500/- रूपये में उपरोक्त अनुसार 15 के गुणांक का प्रयोग करने पर 9,37,500/- रूपये अंकन में (नौ लाख सैंतीस हजार पांच सौ रूपये) की प्रतिकर राशि बनती है, इस प्रतिकर की राशि में साहचर्य की हानि 1,32,000/- रूपये, दाह संस्कार खर्च 16,500 रूपये एवं सम्पदा हानि 16,500/- रूपये जोड़ने पर 11,02,500/- रूपये अंकन (ग्यारह लाख दो हजार पांच सौ रूपये) बनती है, जिसे मृतक उम्र, आमदनी, आश्रितों की संख्या मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में युक्ति युक्त प्रतिकर राशि कहा जा सकता है और यह राशि आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

<u>दायित्व का निर्धारण</u>

36- पूर्व में दिये गये निष्कर्ष अनुसार आवेदकगण अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 से निर्धारित क्षतिपूर्ति संयुक्त या पृथक-पृथक पाने के अधिकारी है, उक्त सम्बन्ध में पुनर्विवेचना अपेक्षित नहीं है।

37- अंत में उपरोक्ता अनुसार की गई विवेचना के आधार पर यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और यह ठहराता है कि आवेदकगण अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 से संयुक्तः या पृथक-पृथक प्रतिकर राशि 11,02,500/- रूपये अंकन (ग्यारह लाख दो हजार पांच सौ रूपये) प्राप्त करने के अधिकारी है। यह अधिकरण अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को निर्देश देता है कि उक्त प्रतिकर राशि आवेदकगण को 2 माह की अवधि में भुगतान करें। यदि उक्त अवधि में प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ

आवेदकगण निष्पादन प्रकरण लगाकर राशि वसूल करने के अधिकारी रहेगे।

38– आवेदकगण उक्त प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने के अधिकारी भी है।

39– मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत क्लेम याचिका कल्याणकारी कानून के अन्तर्गत आती है, इस कारण क्षतिपूर्ति भुगतान में विवाद न हो, इस कारण अंश पर विचार करना उचित है। आवेदक कमांक 1 गलसिंह की पत्नी है और आवेदक कमांक 2, 3 गलसिंह के पुत्र–पुत्री हैं और अनावेदक कमांक 4, 5 माता–पिता हैं, जिनकी विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है, इस कारण आवेदक कमांक 4 एवं 5 को निर्धारित प्रतिकर में से कोई भी अंश दिलाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदकगण की आयु और भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये यह आदेशित किया जाता है कि आवेदक कमांक 1 राशि मय ब्याज जमा होने पर 30 प्रतिशत पाने के अधिकारी रहेंगी एवं आवेदक कमांक 2 एवं 3 मय ब्याज राशि जमा होने पर 35–35 प्रतिशत राशि पाने के अधिकारी रहेंगे।

40– आवेदक कमांक 1 को प्राप्त होने वाली कुल प्रतिकर के 50 प्रतिशत राशि में से 50 प्रतिशत राषि तीन वर्ष की सावधि/एफ.डी.आर. के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा की जायें। एफ.डी.आर. राशि न्यायालय की अनुमति के बिना, प्री–म्योचोर भुगतान नहीं होगी और ऋण नहीं दिया जायेगा, शेष 50 प्रतिशत राशि नगद बचत खाते के माध्यम से दी जावें।

41– अवयस्क आवेदक कमांक 2 एवं 3 को प्राप्त होने वाली कुल प्रतिकर राषि वयस्क होने तक सावधि के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि/एफ. डी.आर. खाते में जमा की जायें। एफ.डी.आर. राशि न्यायालय की अनुमति के बिना, प्री–म्योचोर भुगतान नहीं होगी और ऋण नहीं दिया जायेगा, शेष 50 प्रतिशत राशि नगद बचत खाते के माध्यम से दी जावें।

42– अतः यह अधिकरण वाद प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर **उपरोक्तानुसार आवेदकगण अनावेदक कमांक 1 एवं 2 से संयुक्ततः अथवा पृथक –पृथक रूप से निर्धारित प्रतिकर राशि पाने का अधिकारी है,** के रूप में देता है। तथा वाद प्रश्न कमांक 4 का उत्तर **प्रमाणित है,** के रूप में दिया जाता है।

तदानुसार वाद प्रश्न कमांक 4 निराकृत।

–: <u>वादप्रश्न कमांक–5 का निराकरण (सहायता एवं व्यय)</u> :–

43– परिणामतः वादप्रश्न कमांक 1 लगायत 4 से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर **आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका 1 एवं 2 के विरूद्ध आंशिक स्वीकार कर निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है।**

(एक)– आवेदकगण, अनावेदक कमांक 1 एवं 2 से संयुक्ततः या पृथक–पृथक प्रतिकर राशि कुल राशि 11,02,500/– रूपये अंकन (ग्यारह लाख दो हजार पांच सौ रूपये) प्राप्त करने के अधिकारी है। यह अधिकरण अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को निर्देश देता है कि वह पृथक–पृथक या संयुक्त उक्त प्रतिकर राशि आवेदकगण को 2 माह की अवधि में भुगतान करें। यदि उक्त अवधि में प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ उक्त आवेदकगण निष्पादन प्रकरण लगाकर राशि वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

(दो)– आवेदकगण उक्त प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज पाने के भी अधिकारी है।

(तीन)– आवेदक कमांक 1 पत्नी निर्धारित प्रतिकर राशि मय ब्याज जमा होने पर 30 प्रतिशत पाने के अधिकारी रहेंगे। तथा आवेदक कमांक 2 एवं 3 पुत्र–पुत्री निर्धारित प्रतिकर राशि मय ब्याज जमा होने पर 35–35 प्रतिशत पाने के अधिकारी रहेंगे।

(चार)– आवेदक कमांक 1 को प्राप्त होने वाली कुल प्रतिकर के 50 प्रतिशत राशि में से 50 प्रतिशत राषि तीन वर्ष की सावधि के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत

बैंक में सावधि खाते/एफ.डी.आर. में जमा की जायें शेष राशि नगद बचत खाते के माध्यम से दी जावें।

(पांच)– अवयस्क आवेदक कमांक 2 एवं 3 को प्राप्त होने वाली कुल प्रतिकर राषि वयस्क होने तक सावधि के लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते/एफ.डी.आर में जमा की जायें। एफ.डी.आर. राशि न्यायालय की अनुमति के बिना, प्री–म्योचोर भुगतान नहीं होगी और ऋण नहीं दिया जायेगा।

(छह)– अनावेदकगण अपना एवं आवेदकगण के आवेदन का व्यय भी वहन करेंगे।

(सात)– अधिवक्ता शुल्क के लिये अधिवक्ता शुल्क 2,000/– रूपये निर्धारित किया जाता है। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर प्रमाण पत्र अनुसार या निर्धारित 2,000/– रूपये जो भी कम हो लगाया जावें।

(आठ)– उक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जावे। अधिनिर्णय की प्रति दोनों पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व पारित

सही/–
(अनिल चौहान)
अति./सदस्य मो.दु.दावा
अधिकरण धरमपुरी, जिला धार म.प्र.

मेरे उदबोधन पर टंकित ।

सही/–
(अनिल चौहान)
अति./सदस्य मो.दु.दावा
अधिकरण धरमपुरी, जिला धार म.प्र.

ANIL CHOUHAN
Digitally signed by ANIL CHOUHAN
Date: 2023.10.11 17:59:34 +0530